Construction of Road

*773. Shri Subhash Gangoli, M.L.A.: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from village Gangoli to Dharoli – Bhirtana road via Devi Mandir of Safidon Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be constructed?

JAI PARKASH DALAL, AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE MINISTER, HARYANA

No, Sir; this part of the question does not arise.

"Construction of Road"

*773 asked by Shri Subhash Gangoli, M.L.A.

Note for Pad

As per the approved Road Policy of the HSAM Board for construction of new link roads, minimum 5 Karam wide consolidation path alongwith fulfillment of other criteria; such as the proposed road should shorten the distance to the nearest marketing yard, should not lead to the religious places/ Dera/Dhani/ Interstate Border. The detail of the road in question is as under:-

Gangoli to Dharoli-Bhirtana road via Devi Mandir:- The length of the proposed road is 3.80 km. The width of available consolidation path in RD 0 to 2590m is 5 Karam and in RD 2590 to 3800m is 4 Karam. A distance of 1700m will be shortened to reach the nearest Purchase Centre, Siwana Mall with the construction of proposed road. The proposal is not covered in the road policy of the Board due to less width of consolidation path i.e. 4 karam in RD 2590m to 3800m. At present there is no proposal under consideration with the HSAM Board to construct this road.

It is pertinent to mention here that HSAMB has already constructed one other road from village Gangoli to Bhirtana having length 4.42km during the year 2010.

सड़क का निर्माण

*773. श्री सुभाष गांगोली, एम.एल.ए.: क्या कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि सफीदों विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव गांगोली से धरौली—भीटाना सड़क वाया देवी मन्दिर तक सड़क का निर्माण करने कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है?

जय प्रकाश दलाल, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

जी नहीं, श्रीमान्; प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता ।

नोट फॉर पैड सड़क का निर्माण

*773. श्री सुभाष गागोंली, एम०एल०ए०

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार यह आवश्यक है कि नई सड़कों के निर्माण के लिए कम से कम 5 करम चौड़ा रास्ता तथा दूसरे माप—दण्ड जैसे कि प्रस्तावित सड़क के बनने से नजदीकी मंडियों के लिए दूरी कम होती हो, सड़क धार्मिक स्थानों, <u>डेरा / ढाणी</u> व अंतर्राज्यीय सीमा तक न जाती हो। इस प्रश्न में पूछी गई सड़क का विवरण निम्न प्रकार से है:-

गागोंली से धड़ोली—भिड़ताना रोड़ वाया देवी मन्दिर :— इस मार्ग की लम्बाई 3.80 कि.मी. है । इस राजस्व रास्ते की चौडाई आर.डी. 0 से 2590 मीटर में 5 करम और 2590 से 3800 मीटर में 4 करम है । इस रास्ते को पक्का करने से नजदीक के खरीद केन्द्र सिवाना माल की दूरी 1700 मीटर कम होती है । राजस्व रास्ते की चौड़ाई आर.डी. 2590 मीटर से 3800 मीटर में 4 करम होने के कारण यह प्रस्ताव बोर्ड की सड़क निर्माण नीति के अर्न्तगत नहीं आता । वर्तमान में इस रास्ते को पक्का करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

यहां पर यह कहना उचित होगा कि ह0रा0कृ0वि0 बोर्ड द्वारा वर्ष 2010 के दौरान एक और सड़क गागोंली से भिड़ताना जिसकी लम्बाई 4.42 कि.मी. है बनाई गई थी ।